श्रीमान जी,

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश कमांकः–पंजी / 11 / 2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

2022/16/

प्रार्थी बलवन्त सिंह पुत्र कोडा सिंह जाति तरखान निवासी गांव कोठा तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, पारिवारिक सदस्य सूचि बाबत हलफनामा, आई डी प्रूफ एवं मूल रसीद गुम होने की एफआईआर प्रति पेश कर निवेदन किया है कि मेरे पिता कोडा सिंह पुत्र सन्तोख सिंह जाति तरखान निवासी गांव कोठा तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने दिनांक 22.10.2018 को वसीसत कस्टडी में रखवाई थी। जिनका देहांत दिनांक 30.11.2018 को हो गया था। उनके द्वारा दिनांक 22.10.2018 को रखवाई गयी बंद वसीयत खोला जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी को गवाहान गुरजिन्द्र सिंह पुत्र गुरजंट सिंह एवं नसीब सिंह पुत्र सवार सिंह ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा कर सील्ड पैकेट बंद लिफाफा खोले जाने हेतु प्रस्तुत है।

अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

<u>जिला पंजीयक महोदय</u>